क्रम-संख्या—786

रजिस्टर्ड नं० यू० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

13

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 15 अक्तूबर, 1988

आश्विन 23, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1970/सत्रह—वि0—1-1 (क)—14-1988

लखनऊ, 15 अक्टूबर, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1988)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 24 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

निरसन और व्यपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1988

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1970(2)XVII-V-1—1(KA) 14-1988

Dated Lucknow, October 15, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 15, 1988:

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1988

(U. P. Act no. 18 of 1988)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972.

It is hereby, enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 24, 1988.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "five years" the words "six years" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1988, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 9 of 1988.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 122 सा० विधा० (1791)—17-10-88—1988—850 (मेक०)।